पत्रांक–योजना बजट–33/2015 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......./05/2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में पथ तट फार्म योजनान्तर्गत हर परिसर हरा परिसर योजना के क्रियान्वयन हेतु पूरी योजना राशि ₹ 58.42 लाख (अन्ठ्ावन लाख ब्यालिस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार की ओर से प्रदेश के विद्यालयों, संस्थानों, समितियों इत्यादि के परिसरों का सौन्दर्यीकरण कर हरा–भरा करने एवं पौधों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हर परिसर–हरा परिसर नामक एक नई योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत निर्णयानुसार सरकारी संस्थानों में पौधा रोपण का कार्य तथा गैर सरकारी संस्थानों में निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा किया जाना है।

उक्त निर्णय के आलोक में कुल 26 वन प्रमंडलों के अन्तर्गत कुल 1144 संस्थानों में संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप कुल 182260 पौधें लगाने के निमित चयनित संस्थानों तक पौधा पहुँचाने संबंधी परिवहन व्यय एवं पौधा लगाने के कार्य को हर परिसर–हरा परिसर योजना के तहत क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹ 58.42 लाख (अन्ठ्ावन लाख ब्यालिस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्यशीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्यशीर्ष–01–वानिकी, लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, मांग संख्या–19 उपशीर्ष–0105–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406018000105 के विषयशीर्ष–02 01–मजदुरी, 27 01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी,

उपमुख्यशीर्ष–01–वानिकी, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–19 उपशीर्ष–0103–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406017890103 के विषयशीर्ष–02 01–मजदुरी के अंतर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, बाँका, जमुई, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल, अररिया, तिरहुत, सीतामढ़ी, मिथिला, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, मोतिहारी, मुंगेर, रोहतास, कैमूर एवं बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०–02/टि० पर दिनांक–18.05.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–....../टि० पर दिनांक–............... को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ठ–01 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–33/2015 1584/प०व० पटना–15, दिनांक–25/05/2015

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/5/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट -1

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

हर परिसर, हरा परिसर अंतर्गत सरकारी प्रांगण में पौधारोपण की योजना

प्रमंडल का नाम			पटना	नालन्दा	भोजपुर	गया	नवादा	औरंगाबाद	बांका	जमुई	भागलपुर	पूर्णियाँ	सहरसा	सुपौल	अररिया	तिरहुत	सीतामढ़ी	मिथिला	बेगूसराय	समस्तीपुर	सारण	वैशाली	गोपालगंज	मोतिहारी	मुंगेर	रोहतास	कैमूर	[illegible]	कुल योग
पौधों की संख्या			5900	2350	1700	27848	5975	3602	8559	2750	12800	1928	790	500	6213	8450	22105	8902	7850	3887	3340	5990	5120	1250	2520	23550	2376	6000	182260
संस्थान की संख्या			95	8	10	130	50	51	42	50	50	39	17	3	50	40	49	28	50	26	5	40	50	25	100	50	33	51	1144
कार्य का नाम	इकाई	दर																											
गड्ढा खुदाई - आकार-0.45मी0x0.45मी0x0.45 मी0 - पौधों का Alignment, निर्धारित आकार में पीट की खुदाई (बड़े पौधों के लिए)	प्रति पौधा	17.05	100595.00	40067.50	28985.00	474808.40	101873.75	61414.10	145930.95	46887.50	218240.00	32872.40	13469.50	8525.00	106016.90	144072.50	376890.25	151779.10	133842.50	66273.35	56947.00	102129.50	87296.00	21312.50	42966.00	401527.50	40510.80	102300.00	3107533.00
पौधारोपण कार्य (10 ग्राम डी0ए0पी0 एवं 500 ग्राम कम्पोस्ट प्रति पौधा एवं कीटनाशक के साथ) पौधा की ढुलाई सहित	प्रति पौधा	15.00	88500.00	35250.00	25500.00	417720.00	89625.00	54030.00	128385.00	41250.00	192000.00	28920.00	11850.00	7500.00	93270.00	126750.00	331575.00	133530.00	117750.00	58305.00	50100.00	89850.00	76800.00	18750.00	37800.00	353250.00	35640.00	90000.00	2733900.00
योगः-			189095.00	75317.50	54485.00	892528.40	191498.75	115444.10	274315.95	88137.50	410240.00	61792.40	25319.50	16025.00	199286.90	270822.50	708465.25	285309.10	251592.50	124578.35	107047.00	191979.50	164096.00	40062.50	80766.00	754777.50	76150.80	192300.00	5841433.00

(रुपये अंठावन लाख एकतालिस हजार चार सौ तेंतीस) मात्र

नोटः- दिनांक 11.05.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुए बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस योजना के अंतर्गत सरकारी संस्थानों में पौधा लगाने तक का कार्य विभाग द्वारा सम्पादित किया जाएगा एवं सुरक्षा का कार्य संबंधित संस्थान करेंगे। निजी संस्थानों के अंतर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण के लिए पौधे संस्थानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

रू0 58.41433 लाख रू0 मात्र की तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

(हस्ताक्षर) .5.15
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

(हस्ताक्षर) 14.5.15
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।